

17-11-2015
 2015/16/15



अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद

दाखिल खारिज मु० संख्या..... (11) / 2015-16 आवेदन की तिथि 26/6/15
 आदेश फलक अधिसूचना तिथि- 27/6/15
 निर्गत तिथि- 29/6/15

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश तथा हस्ताक्षर	अभियुक्ति
5/6/15	<p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती..... साकिम</p> <p>पिता/पति..... साकिम</p> <p>धाना..... जिला-धनबाद ने नामांतरण के लिये आवेदन किया है।</p> <p>आवेदन के अनुसार आवेदक/आवेदिका ने मौजा.....</p> <p>मौजा नं० 08 खाता नं० 143 प्लॉट नं० 20.5</p> <p>रकबा 4.36 50</p> <p>दलील सं० 4018 दिनांक 22.5.15 के</p> <p>द्वारा श्री/श्रीमती..... से प्राप्त किया है।</p>	<p>जांच हेतु आवेदन पत्र पाया।</p>

मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को जांच हेतु दें, इस बीच आम इस्तोहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक..... को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी
 धनबाद।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इस्तोहार का तामिला प्राप्त है। किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं किया है। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके अनुसार -

- भूमि रैयती खाते की है।
- जमाबंदी सं० 647 में विक्रेता को विक्रेता के नाम लगान से रसीद कट रहा है।
- आवेदक निर्बंधित दलील द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्नगत जमीन पर दखल कब्जा में है।
- निबंधन धनबाद कलकत्ता निबंधन कार्यालय से किया गया है, तब-अन्तर मुद्रमक की रसिद के कोषाभार में जमा कर दलील को वैध करा लिया गया है।
- प्रश्नगत भूमि गैर आबाद खाला, आदिवासी खाला, भूदान, बन भूमि तथा बी०सी०सी०एल० के क्षेत्र से बाहर है एवं यह हस्तान्तरण C.N.T Act की धारा 46 (1) से मुक्त है।

अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन एवं अनुरासा के आधार पर आवेदित भूमि का दाम्खिल-खारिज आवेदन को..... किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें एवं हल्का कर्मचारी से एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन मांगे। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी
 धनबाद।

अंचल अधिकारी
 धनबाद।

मेरे द्वारा फोटोकॉपी किया गया।
 पतिलिपिक / टंकक

अभिलेख

शुद्धि पत्र प्राप्त किया

29/6/15
 धनबाद

